



केन्द्रीय होस्योपैथी परिषद् Central Council of Homoeopathy

वार्षिक रिपोर्ट Annual Report 1979-80


१०, कम्युनिटी सेंटर, बसन्त लोक, वसन्त विहार, नई दिल्ली-११००५७ 10, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057

(731)

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

वार्षिक रिपोर्ट 1979-80

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्



केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

सदस्यों की सूची

ग्रध्यक्ष :

उपाध्यक्ष :

सदस्य :

डा० जुगल किशोर

डा० दीवान हरीश चन्द

डा० पी० कृष्णा चौधरी

डा० हीरा लाल चऋवर्ती

डा० ए० एल० राय

डा० के० प्रसाद

डा॰ ग्रनिल भाटिया

डा० वी॰ टी॰ डिसूजा

हा० के० जेड० जार्ज

हा॰ ए॰ बी॰ बासु

*हा० पी० सकरन

डा॰ पी॰ रक्षित

डा॰ डी॰ एन॰ बनर्जी

डा० ए० यू० श्रीराम

डा० ग्रार० के० कपूर

डा॰ एस॰ एस॰ रजा

डा० बी० एन० चक्रवर्ती

डा० डी० डी० बनर्जी डा० ए॰ सी० सक्सेना डा० एम० कुटुम्बा राव डा॰ टी॰ पी॰ एलियास डा० एम० सी० बतरा डा॰ नारायरा राव डा० एस० के० नायक डा॰ पी॰ सी॰ पाल *डा० टी० शेषाचारी डा० ए० एम० शेख डा० एन० जेड० नन्द्रकर डा० सूरज सहाय शर्मा डा० के० जी० सक्सेना डा॰ युद्धवीर सिंह डा० ग्रार० घोषाल डा॰ गिरेन्द्र पाल सिंह प्रो॰ ए॰ के॰ किस्कू

^{*}कमश: २०-१-७६ ग्रीर १५-३-७६ से इन दो सदस्यों की मृत्यु के कारण ये सीटें रिक्त हैं।

कार्यकारिणी समिति

म्राध्यक्ष: डा० जुगल किशोर

उपाध्यक्ष : डा० दीवान हरीशचन्द

सदस्य: डा० के० जी० सक्सेना

डा० ए० एम० शेख

डा० एम० सी० बतरा

डा० एस० के० नायक

डा० पी० रक्षित

डा० ग्रार० के० कपूर

डा० ए० बी० बासु

शिक्षा समिति*

事艺艺

म्रध्यक्ष: डा० म्रनिल माटिया

सदस्य: डा० बी० एन० चक्रवर्ती

डा० एम० कुटुम्बा राव

डा० एस० एस० रजाा

डा० जी० पी० सिंह

डा० पी० के० चौघरी

डा॰ नारायगा राव

विनियम समिति*

ग्रध्यक्ष: डा० एम० सी० बतरा

सदस्य:

डा॰ डी॰ डी॰ बनर्जी

डा० वी० टी० डिस्जा

डा० ए० एल० राय

डा० के० जेड० जार्ज

डा॰ पी० सी० पाल डा॰ एन० जेड० नन्दुरकर

पंजीकरण समिति*

ग्रध्यक्षः प्रो० ए० के० किस्कु

सदस्य: डा॰ ग्रार० घोषाल

डा० ए० यू० श्रीराम

डा॰ टी॰ पी॰ एलियास

डा० डी० एन० बनर्जी

सम्पर्क समिति

व्यथ्यक्षः डा० जुगल किशोर

सदस्य : डा० दीवान हरीश चन्द

डा० एच० एल० चऋवर्ती

डा॰ एस॰ एस॰ शर्मा

डा० के० प्रसाद

वित्त समिति

ग्रध्यक्ष: डा० युद्धवीर सिंह

सदस्द: डा० जुगल किशोर

डा० दीवान हरीशचन्द

डा० ए॰ सी॰ सक्सेना

सचिव, केन्द्रीय परिषद (पदेन)

^{*}अध्यक्ष ग्रीर उपाध्यक्ष इन समितियों के पदेन सदस्य हैं।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्

वाषिक रिपोर्ट 1979-80

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद् ने ग्रपने इस छठे वर्ष में होम्योपेथी शिक्षा सहित इस व्यवसाय के ग्रनेक महत्वपूर्ण विषयों परविचार-विमर्श किया।

होम्योपैथी के उन चिकित्सकों को छोड़कर जो ग्रह्ता प्राप्त हैं ग्रथवा जो चिकित्सा कार्य करते रहने के ग्राधार पर विभिन्न राज्य ग्रिधिनियमों के ग्रधीन पंजीकृत हैं, शेष चिकित्सकों पर होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् ग्रिधिनियम की धारा १५ के ग्रन्तगंत लगे प्रतिबन्धों के सिलसिले में सूचीबद्ध होम्योपैथों की समस्या पर विचार करने के लिए जो उपसमिति पहले नियुक्त की गई थी उसकी रिपोर्ट पर परिषद् ने ग्रागे विचार किया।

परिषद् ने पंजीकरण सिमिति से कहा कि वह उप-सिमिति द्वारा दिए गए सुभावों को दृष्टि में रखते हुए इस समस्या पर गहराई से विचार करे।

श्रपने श्रिधकार-क्षेत्र से बाहर के चिकित्सकों के लिए पंजीकरण खोलने वाले कुछ राज्य बोर्डों/परिषदों द्वारा श्रनुभृत समस्याश्रों पर परिषद् ने विचार किया। यह महसूस किया गया कि किसी राज्य परिषद/बोर्ड के लिए ऐसे व्यक्तियों का पंजीकरण करना उचित नहीं होगा जो उस राज्य से बाहर के हों श्रीर उसमें बसे हुए न हों तथा वे अपने राज्य में भी पंजीकृत न हों। इससे श्रसमान्य स्थिति भी उत्पन्न हो जाएगी क्योंकि राज्य-राजस्टर में पंजीकरण के श्राधार पर इस प्रकार के व्यक्तियों के नाम केन्द्रीय राजस्टर में लाने होंगे। इस संबंध में कानूनी सम्मित प्राप्त करने के लिए परिषद् ने यह बिषय केन्द्रीय सरकार को भेज दिया।

ग्राम जनता ग्रौर चिकित्सकों को सही स्थिति से श्रवगत कराने के लिए परिषद् ने यह निर्णाय किया कि डी॰ए॰वी॰पी॰ के माध्यम से समय-समय पर प्रमुख समाचार-पत्रों में कोई कानूनी चेतावनी प्रकाशित करवायी जाती रहनी चाहिए। जिसमें होम्योपैथी चिकित्सा करने के प्रयोजन के लिए परिषद् द्वारा मान्यता-प्राप्त होम्योपैथिक ग्रह्तायें स्पष्ट बतलायी जायें।

ग्राधुनिक चिकित्सा के स्नातकों के लिए होम्योपैथी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम इस शर्त के साथ परिषद् ने स्वीकार किया कि उसे १६८२ के पश्चात् कार्योन्वित किया जाए । स्वास्थ्य एवं परिवार कल्यागा मंत्रालय द्वारा यथासंशोधित परिषद् के कारोबार विनियमों पर कार्यकारिणौ समिति के सुभावों सहित परिषद् ने विचार किया श्रीर प्रस्तावित संशोधनों को मान लिया। संशोधित विनियमों को स्वास्थ्य मंत्रालय की स्वीकृति के लिए उसके पास भेज दिया गया।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त एक पत्र पर जिसमें यह सुक्ताव दिया गया था कि होम्योपेथिक चिकित्सकों के लिए ग्राचार संहिता, शिष्टाचार, ग्रौर व्यवसायिक ग्राचरण के मानकों संबंधी परिषद् के प्रारुप विनियमों को टिप्पणी के लिए राज्य सरकारों के पास भेज दिया जाए परिषद् ने विचार किया ग्रौर यह निर्ण्य किया कि होम्योपेथी केन्द्रीय परिषद् ग्रधिनियम, १६७३ के किसी भी उपबन्ध के ग्रन्तंगत इन विनियमों को राज्य सरकारों को भेजना न तो ग्रावश्यक है ग्रौर न ग्रपेक्षित । परिषद् ने स्वास्थ्य मंत्रालय से ग्रनुरोध किया कि वे इन विनियमों पर ग्रपनी मंजूरी शीघ दें।

परिषद् ने ग्रध्यक्ष को यह ग्रधिकार दे दिया कि वे शैक्षिणिक विनियमों की शीघ्र मंजूरी के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय से स्वयं ग्रनुरोध करते रहें।

राज्यों में होम्योपैथिक मेडिकल कालेजों में उपलब्ध प्रशिक्षरा एवं श्रन्य सुविधाश्रों के मूल्यांकन के उद्देश्य से उनका निरीक्षरा करने के लिए परिषद् ने श्रपने सदस्यों में से विभिन्न विजिटिंग टीमें भी बनाई।

परिषद् को यह जानकर खेद हुआ कि उत्तर प्रदेश राज्य में लायसेंन्सिंग प्राधिकरण ड्रग और कासमेटिक अधिनियम, १६४० के अन्तंगत होम्योपेथिक श्रीषाधयाँ बनाने के लिए लायसेन्स जारी नहीं कर रहें हैं जिसका परिणाम यह हो रहा है कि राज्य में होम्योपेथिक दबाइयां नहीं बन रही हैं और उनकी कमी हो गई है। परिषद् ने इस विषय पर राज्य सरकार से बातचीत करने का निदेश दिया। परिषद् ने श्रीषघ नियत्रंक (मारत) से इस विषय पर विचार करने का अनुरोध किया ताकि राज्यों में जहां-कहीं इस प्रकार की कानूनी जटिलताएं हों वे दूर की जा सकें।

परीक्षा निदेशक, तामिल नाडू द्वारा १९७८ से आगे प्रदत्त डी०एच०एम०एस० आहंता को मान्यता दिलवाने और इसे होम्योपैथी केन्द्रीय परिषद् अधिनियम, १९७३ की दूसरी अनुसूची में सम्मिलित करने के लिए शिक्षा समिति द्वारा की गई सिफारिशों को परिषद् ने मान लिया। डिसपेन्सर्स कोर्स शुरु करने के लिए बिहार राज्य के प्रस्ताव से संबंधित शिक्षा-समिति की सिफारिशों पर परिषद् ने विचार किया किन्तु यह महसूस किया कि इसे तत्काल अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं है।

परिषद् ने होम्योपैथिक शिक्षा के डिप्लोमा ग्रौर डिग्री पाठ्यक्रम चलाने के लिए कर्नाटक बोर्ड ग्राफ होम्योपैथिक सिस्टम ग्राफ मेडिसिन द्वारा बनाये गये प्रारूप विनियमों पर विचार किया किन्तु उन्हें ग्रनुमोदित नहीं किया । राज्य होम्योपैथिक रजिस्टर शुरु करने ग्रौर राज्य होम्योपैथिक बोर्ड द्वारा संचालित परीक्षाग्रों को मान्यता दिलाने के संबंध में ग्रान्ध्र प्रदेश सरकार के ग्रनुरोध पर परिषद् ने विचार किया ग्रौर इसे विस्तृत परीक्षण के लिए ग्रपनी पंजीकरण समिति को भेज दिया।

१६७६-८० वर्ष के संशोधित अनुमानों, १६८०-८१ के बजट अनुमानों तथा १६८०-८१ की वार्षिक-योजना से संबंधित वित्त और कार्यकारिणी समिति की सिफारिशों पर परिषद् ने विचार किया और इनका अनुमोदन किया। परिषद् ने अपने कर्मचारियों के लिए अंशदायी मविष्य-निधि योजना चलाने के प्रस्ताव को मान लिया।

१६७८-७६ वर्ष के लेखे का लेखा-परीक्षित विवरण श्रौर लेखा-परीक्षित रिपोर्ट पर भी परिषद् ने विचार-विमर्श किया श्रौर उन्हें सर्व-सम्मति से श्रपना लिया। परिषद् ने यह निर्णय किया कि १६७६-८० वर्ष से श्रागे उसके वार्षिक-लेखा का लेखा-परीक्षण का काम भारत के नियंत्रक श्रौर महा-लेखा परीक्षक को सौंपा जायेगा।

परिषद् ने चिकित्सा निरीक्षक, तकनीकी ग्रधिकारी, वरिष्ठ लेखापाल, कनिष्ठ हिन्दी ग्रनुवादक, ग्राज्ञुलिपिकों, उच्च श्रेग्गी लिपिकों, निम्म श्रेणी लिपिकों, चपरासियों दफतरी ग्रौर सफाईवाला के पदों के लिए बनाये गये भर्ती नियमों पर विचार किया ग्रौर उन्हें ग्रनुमोदित कर दिया। इन पदों को भरने के लिए कार्य-कारिग्गी समिति द्वारा बनाई गई प्रवर एवं विभागीय पदोन्नति समिति को भी परिषद् ने ग्रनुमोदित किया।

इस बर्ष में परिषद् की एक बार, कार्यकारिगा सिमिति की पांच बार, शिक्षा सिमिति की छः बार, श्रौर विनियम, पंजीकरण एवं वित्त सिमितियों की एक-एक बार बैठक हुई। ग्रिधिनियम के विभिन्न प्रावधानों पर विचार करने ग्रौर यदि कोई संशोधन हो तो उन्हें सुभाने के लिए परिषद् ने एक सिमिति बनाई जिसमें ग्रध्यक्ष, उपाध्क्ष ग्रौर परिषद् की विभिन्न सिमितियों के ग्रध्यक्ष सिम्मिलित हैं।

परिषद् की कार्यकारिणी सिमिति ने केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया कि वह होम्योपैधिक औषधियों के प्रयोग में आने वाली जीशियों के निर्माताओं के प्रति सहानुभूति पूर्ण रवैया अपनाये और इन्हें उत्पादनशुल्क से मुक्त करे क्योंकि इस शुल्क का बोभ उपभोक्ताओं/होम्योपैधिक चिकित्सकों पर पड़ता है।

परिषद् ने सिफारिश की कि कार्यालय के लिए एक बड़ा और बेहतर स्थान किराये पर लिया जाय। इसने यह भी महसूस किया कि मिविष्य में परिषद् का अपना भवन होना चाहिए और इसके लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण या किसी अन्य प्राधिकरण से जमीन लेने का प्रयास किया जाय और केन्द्रीय सरकार से अनुरोध किया जाय कि उसे कार्यालय के भवन-निर्माण एवं कर्मचारियों के क्वीटर बनाने के लिए आवश्यक धन की मंजूरी दे दी जाय।

परिषद् के १६७६-८० वर्ष के लेखों का लेखा निदेशक, केन्द्रीय राजस्व द्वारा किया गया लेखा परीक्षित विवरण इस रिपीट के साथ संलग्न है।

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली 1979-80 वर्ष का प्राप्ति और भुगतान का लेखा

	प्राप्ति			भुगतान	ALC: UNKNOWN	
विवरण		कुल राशि	विवरण		कुल राशि	
1. रोकड़ जमा		रु० पैसे	1. योजनेतर		₹0	q
रोकड़ हाथ में	127.65		(i) (क) वेतन ग्रौर भत्ते	61,991.40		
	154.95		(ख) यात्रा भत्ते	98,586.80		
	194.56	16,477.16	(ग) ग्रनुपमोज्य भण्डार	75,240.03		
2. भारत सरकार से प्राप्त		20711110	(घ) ग्रग्रिम			
			यात्रा मत्ता	4,122.00	0.40.040	
सहायता स्वरूप ग्रनुदान			ग्राकस्मिक व्यय	3,403.40	2,43,343.6	
	000.00		(ii) भ्रवकाश वेतन भीर पैशन मंशदा	न	7,265.5	06
योजना 1,86,0	00.000	4,51,000.00	(iii) कटौती की वसूली जो ग्रन्य कार्यालयों को दी गई।		3,848.0	00
 3. पुराने समाचार पत्रों के			2. योजना		270.00	
विकय से प्राप्त राशि		72.00	(i)			
			(क) वेतन ग्रौर भत्ते	38,569.45		
l. स्टेट बैंक खाता (ग्रंशदायी		32.88	(ख) यात्रा भत्ते	5,547.30		
मविष्य निषि) से प्राप्त			(ग) उपभोज्य भण्डार ग्रौर विविध व्यय (ध) ग्रग्रिम:	1,22,261.79		
ब्याज			यात्रा भत्ता	17,000.00	1,83,378.5	4
5. पूर्व वर्षों में दिये गए			(ii) कटौतियों की वसूली जो अन्य			
ग्रग्निमों से प्राप्त राशि			कार्यालयों को दी गई		575.2	
			(iii) त्यौहार अग्रिम		1,600.00	J
(क) यात्रा भत्ता/ग्रवकाश यात्रा			3. म्रानिवार्यं जमा (मंहगाई मत्ता)		124.40	^
रियायत 2,0	15.70		पुराना		124.40	J
(ख) भ्राकस्मिक व्यय 63	30.50	2,646.20	4. श्री के० जी रामकृष्णान को दिया गया यात्रा भत्ता जिसकी प्रतिपूर्ति सी०सी०		196.00)
(4) 3141(14 44 0.		2,040.20	श्रार० ए० एस० द्वारा की जानी है।		150.00	
कुल		4,70,228.24	5. रोकड बाकी	Walter Brown		
			रोकड़ हाथ में	1,332.50		
		Ritord	रोकड़ बैंक में (स्टेट बैंक ग्रॉफ			
			इण्डिया)	18,170.36		
			रोकड़ बैंक में (सैन्ट्रल बैक ग्रॉफ इण्डिया) ग्रंशदायी भविष्य निधि	10,394.00	29,896.86	
			अ रावाया मापण्य ।गाय	10,554.00	25,050.80	
			कुल		4,70,228,24	

केन्द्रीय होम्योपैथी परिषद्, नई दिल्ली 1979-80 वर्ष का ब्राय और व्यय विवरण


	5	पय			म्राय	
विवरण				कुल राशि	विवरण	कुल राज्ञि
1. योजनेतर					1. पुराने समाचार-पत्रों के विकय से प्राप्त	
(i) (क) वेतन ग्रीर मत्		61,991.40			राशि	72.00
पूर्व वर्षीका दे चालु वर्षका					2. स्टेट बैंक में (ग्रंशदायी मविष्य	
कटौतियाँ		1,680.47 9,344.80	66,836.45		निधि) के खाते से प्राप्त ब्याज	32.88
(ख) ग्रवकाश वेतन	ग्रीर पैंशन				3. भ्राय से व्यय का म्राधिक्य जिसे	
ग्रंशदान			122.00		परिषद के तुलन-पत्र पर ले जाया गया	3,32,779.30
(ग) यात्रा भत्ता पूर्व वर्षो का दे	य (-)	98,586.80 16,897.20			पारेखद क तुलन-पन पर ल जावा गया	3,32,119.30
अग्रिम का सम	योजन	3,060.35	84,749.95	1,51,708.40		
(ii) ग्रवकाश वेतन ग्रंशदान भुगत				7,265.56		
(iii) परिषद का ग्र निधि को ग्रंबा पर ब्याज स्थान	ान श्रीर उस			2,160.00		
2. योजना					The state of the s	
(i) (क) वेतन ग्रीर भत्तं		38,569.45				
कटौतियाँ		4,072.25	42,641.70			
(ख) यात्रा मत्ता			5,547.30			
(ग) उपभुक्त मण्डाः विविध व्यय	ग्रीर	1 10 220 00				
चालू वर्षका दे	ч	1,19,329.00 2,535.02	1,21,864.02	1,70,053.02		
(ii) परिषद का ग्रंब निधि को ग्रन्शद				1,697.20		
ब्याज स्थानान्ति			कुल	3,32,884.18	कुल -	3,32,884.18

केन्द्रीय रोम्योपैथी परिषद्

31मार्च, 1980 को स्थित के अनुसार तुलन-पत्र

देर	वताएं			निश्चित सम्पत्ति	
विवरण		कुल राशि	विवरण 1. निश्चित सम्पत्ति 1.4.79 को	इस वर्ष में जमा	कुल राशि
 पूँजीगत निधि लेखा 1.4.79 को शेष राशि 	2,05,131,78		(क) कार्यालय केबिन्स 22,290.83		22,290.83
भारत सरकार से प्राप्त सहायता स्वरूप श्रनुदान योजनेतर	2,65,000.00		(ख) पंखे 2,539.35 (ग) पुस्तकालय 9,263.18 (ध) फर्नीचर ग्रौर फिक्सचर 47,395.32	1,525.10 12,721.50	2,539.35 10,788.28 60,116.82
योजना	1,86,000.00		(ड़) कार्यालय उपकरण 45,769.30 (च) एयर कण्डीशनसं, 47,135.60	46,563 08	92,332.38 66,910.45
घटा: ग्राय से व्यय का	6,56,131.78		कूलसं, हीटसं ग्रादि (छ) विविध	5,603.55 391.55	391.55
ग्राधिक्य जो कि ग्राय व व्यय विवरण से (—)	3,32,779.30	3,23,352.48	1,74,393.58 2. ग्रग्रिम	80.976.08	2,55,369.66
स्थानान्तरित किया 2. देय बकाया	Tomasium		(क) 1-4-79 को यात्रा भत्ता इस वर्ष भूगतान किया गया	14,534.20 21,122.00	
(क) 1-4-79 को वेतन ग्रौर भत्ते इस वर्ष में जमा	6,180.22 1,680.4 7		घटा: समायोजन ()	35,656.20 3,060.35	
मुगतान की गई राशि घटाकर (— (ख) 1.4.79 को यात्रा व्यय	-) 6,180.22 16,897.20	1,680-47	घटा : वापसी (—) (ख) 1-4-79 ग्राकस्मिक ब्यय	2,015.70 6,366.55	30,580.15
भुगतान की गई राशि घटाकर (-)	16,897.20		इस वर्ष में भुगतान किया गया	3,403.40 9,769.95	
(ग) 1.4.79 को ग्राकस्मिक व्यय इस वर्ष में जमा	4,063.29 2,535.02		घटा: समायोजन (—) घटा: वापसी (—)	5,736.05 630.50	3,403.40
	6,598.31		(ग) 1-4-79 को त्यौहार ग्रग्निम इस वर्ष भुगतान किया गया	600.00 1,600.00	
भुगतान की गई राशि (- घटाकर	-) 2,932.79	3,665.52	घटा : वापसी () 360.00	20,200.00	
			(—) 480.00	840.00	1,360.00
				योग ग्रागे लिया	2,90,713.21
	योग आगे लिया	3,28,698.47			

विवरण		कुल राशि	विवरण		कुल राशि
पिछ	इला जोड़	3,28,698.47	dank lift bold at	पिछला जोड़	2,90,713.21
(घ) स्कूटर ग्रग्रिम की वसूली ग्रप्नेषित		50.00		825.00	
(ड) पहली अर्प्रल, 1979 को के० स०स्वा०यो० सबन्धी वसूली इस वर्षमें जमा	55.00 3.75		घटाः वापसी 3. जी• एम० टी• में जमा	(-) 600.00	225.00 15,000.00
घटाः भुगतान की गई राशि (—)	58.75 2.25	56.50	4. बिजली जमा 5. श्रव्य-दृश्य प्रचार निदेशालय		900.00
(च) पहली धप्रैल, 1979 को के॰ स॰ कर्मचारी बीमा यो॰ सबंघी वसूली	10.00		6. श्री के० जो० रामकृष्णान को या भत्ता के रूप में सी० सी० ग्रार०		
इस वर्ष में जमा	96.50		एस० से प्राप्य राशि 7. उगाही होने तक ग्रिप्रम दिया		196.00
घटाः भुगतान की गई राशि (—) (छ) पहली श्रप्रैल, 1979 को	96.00	10.50	गया ग्रनिवार्य जमा (मंहगाई भत्त 8. रोकड़ बाकी	τ)	124.40
मकान निर्माग संबन्धी वसूली इस वर्ष वसूल	109.00 1,308.00		रोकड़ हाथ में रोकड़ बैंक में (स्टेट बैंक) रोकड़ बैंक में (ग्रंशदायी	1,332.50 18,170.36	THE PARTY OF THE P
घटाः भुगतान की गई राशि(—)	1,417.00 1,308.00	109.00	मविष्य निधि)	10,394.00	29,896.86
(ज) श्रवकाश वेतन ग्रीर पेंशन ग्रंशदान		. 122.00			
(भ) ग्राई० एम० ए०		200.00			8
	योग आगे लिया	3,29,246.47	ų d	ोग ग्रागे लिया	3,41,055.47



Annual Report 1979-80

10, Community Centre, Basant Lok, Vasant Vihar, New Delhi-110057

Allen and The



CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

PRESIDENT							
VICE - PR	ESIDENT						
EXECUTIVE COMMITTEE							
oqui novel	—EDUCATION COMMITTEE						
REGULATION COMMITTEE—							
	-REGISTRATION COMMITTEE						
LIAISON COMTMITEE———							
	-FINANCE COMMITTEE						
SECRI	ETARY						

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

LIST OF MEMBERS

President :

Dr. Jugal Kishore

Vice-President :

Dr. Diwan Harish Chand

Members:

Dr. P. Krishna Choudary

Dr. Hira Lal Chakraborty

Dr. A. L. Roy

Dr. K. Prasad

Dr. Anil Bhatia

Dr. V.IT. D'Souza

Dr. K. Z. George

Dr. A. B. Basu

*Dr. P. Sankaran

Dr. P. Rakshit

Dr. D. N. Banerjee

Dr. A. U. Sriram

Dr. R. K. Kapoor

Dr. S. S. Raza

Dr. B. N. Chakravarty

Dr. D. D. Banerjee

Dr. A. C. Saxena

Dr. M. Kutumba Rao

Dr. T. P. Elias

Dr. M. C. Batra

Dr. Narayana Rao

Dr. S. K. Nayak

Dr. P. C. Paul

*Dr. T. Seshachari

Dr. A. M. Shaikh

Dr. N. Z. Nandurkar

Dr. Suraj Sahai Sharma

Dr. K. G. Saxena

Dr. Yudhvir Singh

Dr. R. Ghoshal

Dr. Girendra Pal Singh

Prof. A. K. Kisku

^{*}These two seats fell vacant on account of the death of the members on 20.1.79 and 15.3.79, respectively.

EXECUTIVE COMMITTEE

President: Dr. Jugal Kishore

Vice-President: Dr. Diwan Harish Chand

Members: Dr. K. G. Saxena

Dr. A. M. Shaikh

Dr. M. C. Batra

Dr. S. K. Nayak

Dr. P. Rakshit

Dr. R. K. Kapoor

Dr. A. B. Basu

EDUCATION COMMITTEE*

Chairman: Dr. Anil Bhatia

Members: Dr. B. N. Chakravarty

Dr. M. Kutumba Rao

Dr. S. S. Raza

Dr. G. P. Singh

Dr. P. K. Choudary

Dr. Narayana Rao

REGULATION COMMITTEE*

Chairman: Dr. M. C. Batra

Members: Dr. D. Banerjee

Dr. V. T. D'Souza

Dr. A. L. Roy

Dr. K. Z. George

Dr. P. C. Paul

Dr. N. Z. Nandurkar

REGISTRATION COMMITTEE*

Chairman: Prof. A. K. Kisku

Members: Dr. R. Ghoshal

Dr. A. U. Sriram

Dr. T. P. Elias

Dr. D. N. Banerjee

LIAISON COMMITTEE

Chairman: Dr. Jugal Kishore

Members: Dr. Diwan Harish Chand

Dr. H. L. Chakraborty

Dr. S. S. Sharma

Dr. K. Prasad

FINANCE COMMITTEE

Chairman: Dr. Yudhvir Singh

Members: Dr. Jugal Kishore

Dr. Diwan Harish Chand

Dr. A. C. Saxena

Secretary, Central Council (Ex-Officio)

^{*}President and Vice-President are the ex-officio members of these Committees.

CENTRAL COUNCIL OF HOMOEOPATHY

ANNUAL REPORT 1979-80

During this sixth year of its existence the Central Council of Homoeopathy deliberated on a number of important issues of the Homoeopathic profession including education in Homoeopathy.

The Council gave further consideration to the Report of the Sub-Committee appointed earlier to go into the problem of enlisted homoeopaths regarding the restrictions imposed under Section 15 of the Act on persons other than those who are qualified or those who are registered on the basis of practice under the various State Acts. The Council asked its Registration Committee to examine the problem in depth in the light of the suggestions made by the Sub-Committee.

The Council considered the problem faced by certain State Boards/
Councils who had opened their registration to practitioners outside their
own jurisdiction. It was felt that it would not be proper for a State
Council/Board to register persons from outside the State who were not
domiciled in that State and were also not registered in their own State.
It would also create an anomalous situation as the names of such persons will have to be brought over the Central Register on the basis of
their registration on a State Register. The Council referred this matter
to the Central Government for obtaining legal opinion in this regard.

In order to keep the public and the profession informed of the correct position, the Council decided that a statutory warning should be published periodically in leading newspapers through D.A.V.P. about qualifications in Homoeopathy recognised by the Council for the purpose of practice of Homoeopathy.

The Council approved a training course in Homoeopathy for graduates of Modern Medicine with the stipulation that it should be implemented only after 1982. The Council considered the Business Regulations of the Council as modified by the Ministry of Health & Family Welfare along with the suggestions made by the Executive Committee and approved the proposed amendments. The amended Regulations have been forwardaed to the Health Ministry for approval.



The Council also considered a reference from the Ministry of Health and Family Welfare suggesting that the Draft Regulations of the Council concerning standards of professional conduct, etiquette and code of ethics for Homoeopathic practitioners may be referred to the State Governments for comments and decided that it was neither necessary nor required under any of the provisions of the Homoeopathy Central Council Act, 1973, to refer them to the State Governments and requested the Health Ministry to sanction the Regulations at the earliest

The Council authorised the President to pursue with the Health Ministry for having the approval of Educational Regulations expedited.

The Council also set up various Visiting Teams from among its members for inspection of Homoeopathic Medical Colleges in the States for assessing the training and other facilities available there.

The Council also noted with regret that the licensing authorities in the State of Uttar Pradesh were not issuing licences for the manufacture of Homoeopathic medicines under the Drugs and Cosmetics Act, 1940 resulting in non-production and scarcity of the Homoeopathic drugs in the State and directed to take up the matter with the State Govt. The Council requested the Drugs Controller (India) to consider this matter so that such legal complications were removed wherever they existed in the States.

The Council approved the recommendations of its Education Committee for recognising D.H.M.S. qualification awarded by the Director of Examinations, Tamil Nadu, from 1978 onwards and for its inclusion in the Second Schedule to the Homoeopathy Central Council Act, 1973. The Council also considered the recommendations of the Education Committee regarding the proposal of the Bihar State for starting a Dispensers' Course, but felt that there was no immediate need for approving it. The Council considered the Draft Rules framed by the Karnataka Board of Homoeopathic System of Medicine for conducting examinations for diploma and degree courses in Homoeopathy, but did not approve of them. The Council considered the request of the Andhra Pradesh Government for starting the State Homoeopathic Register and recognition of examinations conducted by the State Homoeopathic Board and referred it to its Registration Committee for detailed examination.

The Council considered the recommendations of its Finance and Executive Committees regarding Revised Estimates of Rs. 3.98 Lakhs



(Non-plan) and Rs. 2.49 Lakhs (plan) for the year 1979-80 and Budget Estimates of Rs. 4.02 lakhs (Non-plan) and Rs. 4.25 lakhs (plan) for the year 1980-81 and Annual Plan for the year 1980-81 and approved them. The Council approved the introduction of the Contributory Provident Fund Scheme for the employees of the Council.

The Council also considered the Audit Report and Audited Statement of Accounts for the year 1978-79 and adopted them unanimously. The Council decided to entrust the auditing of its Annual Accounts to the Comptroller and Auditor General of India from the year 1979-80 onwards.

The Council considered and approved the Recruitment Rules framed for the posts of Medical Inspector, Technical Officer, Senior Accountant, Junior Hindi Translator, Stenographers, U.D.Cs., L.D.Cs., Peons, Daftri and Safaiwala. It also approved the Selection-cum-Departmental Promotion Committee constituted by the Executive Committee for filling up these posts.

During the year, the Council held one meeting and five meetings of its Executive Committee, six of its Education Committee and one each of Regulation, Regisatrtion and Finance Committees. The Council constituted a Committee comprising the President, Vice-President and the Chairmen of various committees of the Council to look into the various provisions of the Act and suggest if any amendments were to be recommended. The Executive Committee of the Council requested the Central Government to be sympathetic towards the manufacturers of glass phials used for Homoeopathic drugs and exempt them from the excise duty as the burden of the duty would be passed on to the consumers/Homoeopathic practitioners.

The Council recommended for hiring of a larger and better accommodation. It also felt that in the long run it should have a building of its own and efforts should be made to get a piece of land allotted through D.D.A. or any other authority and the Central Government be requested to sanction necessary funds for the construction of office building and staff quarters in a phased manner.

The statement of accounts of the Council for the year 1979-80 as audited by the Director of Audit, Central Revenues is annexed to this Report.

Central Council of Homoeopathy, New Delhi

Receipts and Payments Account for the year 1979-80

	Receipts				Payments		
	Particulars		Amount		Particulars		Amonut
1.	Opening Balance		Rs. P.	1	. Non-Plan		Rs. P.
	Cash in hand	127.65			i) a) Pay & allowances	61,991.40	Rs. F.
	Stamps in hand	154.95			b) Travelling allowances	98,586.80	
	Cash at Bank	16,194.56	16,477.16		c) Non-consumable stores		
2	Grant in aid and 1				d) Advances :	75,240.03	
2.	Grant-in-aid received from Government of India				TA	4,122.00	
	Non-Plan	2,65,000.00			Contingencies	3,403.40	2,43,343.63
	Plan	1,86,000.00	4.51.000.00				2,43,343.03
			4,51,000.00		ii) Leave Salary & Pension contribu	tion	7,265.56
3.	Proceeds on sale of Newspaper		72.00		iii) Recovery of deductions paid to other Offices		3,848.00
4.	Interest earned on SB A/c. (CPF)		32.88	2.	Plan		
5.	Refund in cash of Advances paid during the previous years				i) a) Pay & allowances b) Travelling allowances	38,569.45 5,547.30	
	a) TA/LTC	2,015.70			c) Consumable stores and	2,017.00	
	b) Contingencies	630.50	2,646.20		misc. expenses	1,22,261.79	
	o, contingencies		2,040.20		d) Advances:		
					TA	17,000.00	1,83,378.54
					ii) Recovery of deductions paid		
					to other offices		575.25
					iii) Festival advance		1,600.00
				3.	CD (DA) OLD		124.40
				4	TA paid to Sri K.G. Ramakrishnan		124.40
					reimbursible by CCRAS		196.00
				5	Closing Balance		150.00
				Э.	Cash in hand		
					Cash at Bank (SBI)	1,332.50	
					Cash at Bank (CBI) CPF	18,170.36	20 000 00
					Can at Dalla (CDI) CIT	10,394.00	29,896.86
		Total	4,70,228.24			Total	4,70.228.24

Central Council of Homoeopathy, New Delhi.

Income & Expenditure Statement for the year 1979-80.

Expenditure						Income	
Particulars			Amount		Particulars		Amount
I. Non-Plan			Rs. P.				Rs. P
 i) a) Pay & Allowances. Previous Year's liability Current Year liability Deductions 	61,991.40 (-) 6,180.22 1,680.47 9,344.80	66,836.45		1. 2. 3.	Proceeds on sale of Newspaper. Interest earned on SB A/c. (CPF) Excess of expenditure over Incom transferred to Balance Sheet.)	72. 0 0 32.88
b) LS & PC.c) TAPrevious Year's liab.(—)	98,586.80	122.00					3,32,779.30
Adjustment of advance ii) LS & PC paid	3,060.35	84,749.95	1,51,708.40 7,265.56				
iii) Interest on & Council's Contribution to CPF trfd.			2.160.00				
Plan							
i) a) Pay & Allowances. deductions.	38,569.45 4,072.25	42,641.70					
	19,329.00 2.535.02 1,	5,547.30	1,70,053.02				
iii) Interest on & Council's Contribution to CPF trfd.			1,697.20				

Total: 3,32,884.18

Total 3,32,884.18

Central Council of Homoeopathy, New Delhi

Balance Sheet as on 31-3-1980.

Liabi Particulars	ilities		7				Assets
- articulars			Amount	Particulars			Amount
1. Capital Fund A/c Balance as on 1-4 Grant-in-aid rece	4-79.	2,05,131.78	Rs. P.	1. Fixed Assets	As on 1-4-79	Addition during	Rs. P.
Govt of India No		2,65,000.00 1,86,000.00		a) Office Cabins b) Fans c) Library	22,290.83 2,539,35 9,263.18	the year	22,290 83 2,539.35
Less Excess of Excess of Excess Income trans		6 ,56,131.78 3,32,779.30	3,23,352.48	d) Furniture & Fixtures. e) Office Equipment f) Air Conditioners,	47,395.32 45,769.30	12,721.50 46,563.08	10,788.28 60,116.82 92,332.38
2. Liabilities Outstan a) Pay & Allowance				coolers, Heaters etc	47,135.60	14,171.30 5,603.55 391.55	66,910.44
As on 1-4-79. Addition during the		6,180.22 1,680.47		2. Advances	1,74,393.58	80,976.08	391.55 2,55,369.66
Less paid. b) Travelling Expense As on 1-4-79. Less paid.	(—) ses.	6,180.22 16,897.20 16.897.20	1680.47	a) TA As on 1-4-79 Paid during the year		14,534,20 21,122.00 35,656.20	
c) Contingencies As on 1-4-79.		4,063.29		Less Adjustments Less Refund	(-)	3,060 35 2,015.70	30,580.15
Addition during th	e year.	2,535.02 		b) Contingencies As on 1-4-79 Paid during the year		6, 3 66.55 3,403.40	
Less paid	(-)	2,932.79	3,665.52	Less Adjustments (Less Refund (_) _)	9.769.95 5,736.05 630.50	3,403.40
				c) Festival Advance As on 1-4-79 Paid during the year		600.00	
				Less refund (—) 360 (—) 480	0.00	2,200.00 840.00	1,360.00
		C/o.	3,28,698.47			C/o. 2	,90,713.21

Particulars B	/F.	Amount 3,28,698.47	Particulars B/F.	Amount 2,90,713.21
d) Recovery of Scooter Advance		50.00	d) Flood Advance	
Un-remitted			As on 1-4-79	825.00
e) CGHS Recovery As on 1-4-79			Less refund (—)	600.00 225.00
Addition during the year	55.00		3. Deposit with GMT	
reduction during the year	3.75			15,000.00
	58.75		 Electricity Deposit D.A.V.P. 	900.00
Less Paid (-)	2.25	56.50	6. Amount due from CCRAS towards	4,000.00
f) CGEIS Recovery			TA of Sri K.G. Ramakrishnan	100.00
As on 1-4-79	10.00		7. CD (DA) paid in advance pending	196.00
Addition during the year	96.50		realisation	124 40
			5# JEWITS AND	124.40
Less paid (—)	106.50 96.00	10.50		
Jees paid	96.00	10.50		
g) HBA Recovery				
As on 1-4-79 Recovered during the year	109.00			
Recovered during the year	1,308.00			
	1,417.00			
Less Remitted (—)	1,308.00	109.00		
h) Leave Salary & Pension Contribution	n	122.00		
i) IMA	Part I have to	200.00		
j) GPF Recovery		200.00		
As on 1-4-79	150.00			
Recovered during the year	1,107.00	ture bing		
	1,257.00			
Less Remitted (—)	1,091.00	166.00		
k) I. T. Recovery As on 1-4-79	THE PARTY OF THE P			
Recovered during the year	150.00 1,350.00			
the year				
	1,500.00			
Less Remitted. (—)	1,500.00			
			THE STANKE E	

Particulars		Amount	Tatteuats		raniount
1) CPF Payable to other offices As on 1-4-79 Recovered during the year Less remitted (-)	 479.00 336.00	143.00	8. Closing Balance Cash in hand Cash at Bank (SBI) Cash at Bank (CPF)	1,332.50 18,170.36 10,394.00	29,896.86
m) Festival Advance Recovery As on 1-4-79 Recovery during the year Less remittance. (—)	60.00 40.00	20.00			
n) Flood Advance Recovery As on I-4-79 Recovery during the year Less Remittence (-)	75.00 50.00	25.00			
o) Payable to Sri A.K. Kisku		100.00			
p) CPF A/c. of the Council Subscription Non-Plan ,, Plan Interest & Conucil's Contribution	5,271.80 2,226.00 3,857.20	11,355.00			
	Total :-	3,41,055.47		Total	3,41,055.47

Amount

Particulars

I have examined the foregoing accounts for the year 1979-80 and the Balance Sheet as on 31st March 1980 of the Central Council of Homoeopathy and obtained all the information and explanations that I have required and subject to the observations in the Audit Report appended, I certify as a result of my audit that in my opinion these accounts and the Balance Sheet are properly drawn up so as to exhibit a true and fair view of the state of affairs of the Council according to the best of my information and explanation given to me and as shown by the books of the Council.

sd/-

(K.C. Das)

Amount

DIRECTOR OF AUDIT CENTRAL REVENUES.

Dated the 26th Feb. 1981. New Delhi.

Particulars

38

